

**बिहार सरकार**  
**बिहार तकनीकी सेवा आयोग**

**अल्पकालीन विज्ञप्ति**  
**(अधिवक्ता का पैनल निर्माण हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना )**

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पूर्व से दायर तथा भविष्य में दायर होने वाले वादों से संबंधित तथ्य विवरणी तैयार करने एवं संबंधित न्यायालयों में आयोग का पक्ष रखने हेतु सुयोग्य एवं पंजीकृत अधिवक्ताओं से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन देने हेतु वैसे ही अधिवक्ता योग्य होंगे, जो माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कम-से-कम 07 (सात) वर्षों से पैरवी करने का अनुभव रखते हो।

इच्छुक अधिवक्ता दिनांक-15.06.2020 से दिनांक-30.06.2020 की संध्या तक अपना आवेदन सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पदनाम से **e-mail- btssc-bih@gov.in** के माध्यम से आयोग कार्यालय में भेजेंगे। निर्धारित तिथि को निर्धारित समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जायेगा।

प्राप्त आवेदनों में से अधिवक्ताओं का पैनल निर्माण किया जाएगा।

विस्तृत जानकारी के लिए बेवसाईट **www.btsc.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

*Bani*  
*10.6.2020*  
उप सचिव  
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,  
पटना।

**आवेदन पत्र का प्रारूप**  
**(आयोग का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता का पैनल निर्माण हेतु)**

सेवा में,

सचिव,  
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,  
19, हार्डिंग रोड, पटना।

**विषय :- अधिवक्ताओं के पैनल निर्माण के लिए आवेदन का प्रेषण।**

**प्रसंग :- आयोग के विज्ञापन सं०- दिनांक-**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना में अधिवक्ता के पैनल निर्माण हेतु विहित प्रपत्र में मेरा आवेदन निम्नवत् है :-

1	आवेदक/आवेदिका का नाम									
2	आवेदक के पिता/पति का नाम									
3	जन्म तिथि	<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>D</td><td>D</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>M</td><td>M</td></tr></table> <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td><td>Y</td></tr></table>	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
D	D									
M	M									
Y	Y	Y	Y							
4	शैक्षणिक योग्यता									
5	अधिवक्ता के रूप में पंजीयन संख्या (वर्ष सहित)									
6	माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रेक्टिस करने की अवधि (प्रत्येक वर्ष के लिए कम-से-कम एक वाद के साक्ष्य के साथ)									
7	प्रतिवर्ष औसत वादों की संख्या जिनमें आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पक्ष रखा गया है।									
8	भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम/सरकारी निकाय से संबंधित कार्य का साक्ष्य (यदि हो)									
9	स्थायी पता									

10	पत्राचार का पता	
11	मोबाईल नं०	
12	ई-मेल	

एतद् द्वारा मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर में दी गयी सभी सूचनाएं सही है।

तिथि :-

स्थान :-

आवेदक का हस्ताक्षर

आवश्यक शर्तें :-

1. पैनल की अवधि दो वर्षों की होगी। पैनल की अवधि एवं अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित/परिवर्तित करने का अधिकार आयोग के अध्यक्ष को होगा।
2. पैनल के अधिवक्ताओं के बीच वादों का वितरण आयोग के अध्यक्ष के द्वारा किया जायेगा।
3. तथ्य विवरणी तैयार करना, दैनिक एडमिशन, दैनिक सुनवाई एवं बंच केसेस (Bunch Cases) में सुनवाई के शुल्कों का भुगतान आयोग द्वारा निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया है :-
  - (i) प्रतिशपथ-पत्र/तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए 1,200/- (एक हजार दौ सौ रूपया) प्रति वाद।
  - (ii) प्रतिशपथ-पत्र/तथ्य विवरणी टंकित करने के लिए 300/- (तीन सौ रूपया) प्रति वाद।
  - (iii) अधिकतम दो वादों की दैनिक सुनवाई के लिए 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया) प्रति दिन।  
(नोट :- एक दिन में दो से अधिक वादों की सुनवाई की स्थिति में समानुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा।)
  - (iv) प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के लिए, पृच्छा दायर करने का कोर्ट फीस सहित अन्य व्यय होने वाली राशि-.....(वास्तविक व्यय)।
4. यह शुल्क वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रभावी है तथा अपरिवर्तनीय है।
5. प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक साक्ष्य के साथ आयोग कार्यालय को विपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. गठित पैनल के अधिकृत अधिवक्ता के निम्नलिखित दायित्व होंगे :-
  - (क) वे यह सुनिश्चित करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु आने वाले वादों में कोई भी केस अनअटेन्डेड नहीं रह जाँएँ।
  - (ख) समय-समय पर वाद में पड़ने वाले सुनवाई की तिथि से आयोग को अवगत कराते रहेंगे तथा दिये गए निर्देशों के आलोक में आयोग के पक्ष से न्यायालय को अवगत कराएँगे।
  - (ग) आयोग द्वारा आवंटित कार्य की अद्यतन स्थिति एवं की गई कार्यवाही के संबंध में आयोग को अवगत कराएँगे एवं अपना परामर्श देंगे।
  - (घ) अधिकृत अधिवक्ता समय-समय पर आयोग द्वारा मांगे जाने पर या अपनी तरफ से आवंटित वाद में सुविचारित वैधिक राय से आयोग को अवगत कराएँगे।
  - (ङ) उपर्युक्त दायित्वों के अतिरिक्त अधिकृत अधिवक्ता को आयोग द्वारा सौंपे गए कार्य/निदेश का भी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. पैनल निर्माण में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।